

पन्ना में हीरा खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के **पन्ना** ज़िले में, जोकि **हीरा खनन** के लिये प्रसिद्ध है, अपरषिक्त **हीरों** की नीलामी की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- **पन्ना का हीरा उद्योग:**
 - पन्ना सदियों से हीरा खनन केंद्र रहा है।
 - **अतयधिक खनन के कारण** ज़िले के हीरे के भंडार कम हो गए हैं, जिससे बड़ी खोजें दुर्लभ हो गई हैं।
 - **खनन मुख्यतः आदिवासी आबादी** के लिये वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें **250-300 रुपए** की नाममात्र की दैनिक आय प्राप्त होती है।
- **कानूनी मुद्दे:** शेष बचे अधिकांश हीरे के भंडार **संरक्षित वन क्षेत्रों** में स्थित हैं, जिससे खनन गतिविधियाँ प्रतबंधित हैं। सरकार पर्यावरण का वसति करने के लिये कानूनी समाधान खोज रही है।
 - **खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957** के अंतर्गत वनियमों तथा **खान सुरक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Mines Safety- DGMS)** द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करना।
 - जब किसी को हीरा मिला तो स्थानीय प्राधिकारियों, जैसे **ज़िला कलेक्टर या संबंधित खनन विभाग** को हीरे के बारे में सूचित करना।
 - **खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957: MMDR अधिनियम, 1957** भारत में खनजि अन्वेषण एवं नषिकर्षण को नियंत्रित करता है। यह केंद्र सरकार को खनजि संसाधनों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
 - **खनजि रियायत नयिम, 1960: ये नयिम** खनन पट्टे और लाइसेंस प्राप्त करने के लिये वसित प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
 - सरकारी भूमि पर या लाइसेंस प्राप्त खनन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हीरों पर **खनजि रियायत नयिम, 1960** के अधीन, अधिकार सरकार या खनन पट्टाधारक के पास हो सकते हैं।
 - **अंतर:** भूमि स्वामित्व के बावजूद, खनजि के नषिकर्षण के लिये सरकार से अलग परमिट की आवश्यकता होती है और खनजि का स्वामित्व भूमि स्वामित्व से भिन्न हो सकता है।

खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957

- **खनजि संसाधनों का वनियमन:**
 - यह अधिनियम भारत में खनजि संसाधनों के अन्वेषण, नषिकर्षण और वनियमन को नियंत्रित करता है तथा केंद्र सरकार को इन गतिविधियों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **लाइसेंसिंग और पट्टा:**
 - यह खनजि अन्वेषण और खनन के लिये लाइसेंस एवं पट्टे प्रदान करने की रूपरेखा स्थापित करता है, जिसमें खनन अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
- **नियंत्रण और अनुपालन:**
 - अधिनियम में खनजि नषिकर्षण के लिये निर्धारित मानकों और वनियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
- **केंद्रीय सरकार प्राधिकरण:**
 - केंद्र सरकार के पास खनजि संसाधनों के विकास और वनियमन से संबंधित निर्देश जारी करने तथा वनियमों को लागू करने की शक्ति है, जिसमें खनजि रॉयल्टी एवं शुल्क का संग्रह भी शामिल है।

